वर्ष 2025–26 में मा0 आयोग द्वारा निस्तारित कतिपय शिकायती प्रकरणों का संक्षिप्त विवरण

- **मो0 असलम, पूर्ति निरीक्षक, जिला पूर्ति कार्यालय, बागेश्वर के शिकायती प्रकरण का विवरणः–** प्रार्थी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रार्थी की नियुक्ति दिनांक 29.09.2024, को कनिष्ठ सहायक के पद पर जिला पूर्ति कार्यालय बागेश्वर में हुई है। नियुक्ति की तिथि से वर्तमान तक प्रार्थी द्वारा पूर्ण ईमानदारी एवं लगन के साथ उक्त कार्यालय द्वारा आवंटित कार्यों, तीनों विकासखण्डों के राशन कार्डो का कार्य, नगरपालिका बागेश्वर एवं नगर पंचायत कपकोट, गरूड़ के राशन कार्डो का कार्य, प्रत्येक दिन कार्यालय में आने वाले जनप्रतिनिधियों/व्यक्तियों की समस्याओं एवं कार्यो का तत्समय निस्तारण तथा इसके साथ–साथ जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा समय–समय पर सौंपे गये कार्यो का सम्पादन भी समयान्तर्गत किया जाता है। तत्कालीन जिला पूर्ति अधिकारी, बागेश्वर द्वारा आदेश दिनांक 29.04.2021 के द्वारा अधिष्ठान अनुभाग से संबंधित कार्य यथा पेंशन, समयमान–वेतनमान, वेतन निर्धारण आदि अधिष्ठान संबंधी कार्य भी प्रार्थी को आवंटित किये गये है, जबकि उक्त कार्य हेतु अधिष्ठान अनुभाग में कार्मिक तैनात है, उसके उपरान्त भी प्रार्थी के अल्पसंख्यक समुदाय का होने के कारण उत्पीड़न कर उच्चाधिकारियों द्वारा जानबूझकर मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है, जबकि इस हेतु प्रार्थी द्वारा विभिन्न पत्रों के माध्यम से अपने उच्चाधिकरियों को अवगत कराया जा चुका है, किन्तु आतिथि तक इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। इस पर मा0 आयोग द्वारा अग्रेत्तर कार्यवाही कर जिलाधिकारी, बागेश्वर को निर्देशित किया गया, जिसके अनुपालन में जिलाधिकारी, बागेश्वर के पत्र सं0–328/चालीस–सी0सी0– मा0आयो0प्र0/24–25 दिनांक 19.08.2025, के माध्यम से जिला पूर्ति अधिकारी, बागेश्वर के कार्यालय आदेश सं0–869/दिनांक 13.08.2025 को अधिष्ठान अनुभाग में कार्यरत कर्मचारी को उक्त समस्त कार्य ग्रहण करने के आदेश दिये गये, जिसके क्रम में प्रार्थी द्वारा उक्त समस्त कार्य दिनांक 14.08.2025 को हस्तगत किये जा चुके है तथा प्रार्थी की समस्या का समाधान भी किया गया है, जिस हेतु प्रार्थी मा0 आयोग के प्रति कोटि–कोटि आभार प्रकट करते हुए नतमस्तक है।
- **मो0 अहमद, पुत्र श्री बशीर अहमद, निवासी–वार्ड नं0–6, इस्लामनगर, तहसील–खटीमा, जिला–ऊधमसिंहनगर के शिकायती प्रकरण का विवरणः–** प्रार्थी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रार्थी के नाम से आवास पर एक विद्युत कनैक्शन संख्या–KH2K624185288 लगा हुआ था। लगभग 5 वर्ष पूर्व अर्थात् वर्ष 2019 में प्रार्थी का मकान क्षतिग्रस्त हो गया था, जिस कारण प्रार्थी द्वारा उक्त कनैक्शन कटवाते हुए मीटर अपने पास सुरक्षित रख लिया गया था, जो लगभग वर्ष 2019 से बन्द चला आ रहा है, किन्तु प्रार्थी द्वारा जब अपने दूसरे भवन में उक्त कनैक्शन स्थानान्तरण करवाते हुए मीटर चालू करवाया, तो उसमें लगभग रू0 90,000/–का बिल आया, जिसके चलते प्रार्थी द्वारा मा0 आयोग से न्याय की गुहार लगाई गयी थी, जिस पर मा0 आयोग द्वारा त्वरित कार्यवाही कर विद्युत विभग को निर्देश दिये गये, जिसके क्रम में मा0 आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में विद्युत विभाग द्वारा प्रार्थी के परिसर में नया विद्युत मापक स्थापित करने के उक्त बिल की धनराशि को संशोधित कर रू0 19662.00 किया गया, जिसका भुगतान प्रार्थी द्वारा किया जा चुका है,

जिस हेतु प्रार्थी मा0 आयोग द्वारा की गयी त्वरित कार्यवाही से समस्या का समाधान होने पर हृदय से आभार व्यक्त करता है।

➤ **श्री अब्दुल यामीन, पुत्र स्व. श्री बन्नू मियां, निवासी–घटधार धारचूला, पिथौरागढ़ के शिकायती प्रकरण का विवरणः–** प्रार्थी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रार्थी की नियुक्ति दिनांक 20.12.1995 को संग्रह अमीन के पद पर धारचूला में हुई थी, तब से लगातार कार्यरत रहते हुए दिनांक 31.03.2024, को ससम्मान सेवानिवृत्त हुआ हूं। प्रार्थी सेवानिवृत्त होने तक मूल वेतन 77700 तथा ग्रेड पे–5400 पर कार्यरत रहा। प्रार्थी की सेवानिवृत्ति होने से पूर्व श्री गोपाल सिंह, श्री दीवान सिंह, श्री बहादुर राम, श्री राजे मेहरा, श्री भूपेन्द्र सिंह, श्री हेमचन्द्र श्री आलम सिंह, श्री मोहन सिंह, श्री कुंवर सिंह, श्री श्याम सुन्दर आदि संग्रह अमीनों को मा0 उच्च न्यायालय एवं जिलाधिकारी, पिथौरागढ के आदेश के क्रम में नियमित पेंशनन तथा अन्य लाभ दिये जा रहे है, किन्तु प्रार्थी को आतिथि तक नियमित पशेन व अन्य लाभ नहीं दिये गये है। मा0 आयोग द्वारा त्वरित कार्यवाही कर समस्या का समाधान किये जाने के निर्देश जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ को दिये गये, जिसके अनुपालन में अवगत कराया गया कि श्री अब्दुल यामीन को अन्नतिम पेंशन दी गयी है तथा शेष देयकों का भुगतान शासन के दिशा–निर्देश प्राप्त होने के उपरान्त कर दिया जायेगा, जिस पर मा0 आयोग द्वारा दिनांक 08.01.2026, को सुनवाई कर जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ को निर्देशित किया गया कि जिस प्रकार मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 10 कार्मिकों की पेंशन स्वीकृत की है, उसी प्रकार वर्णित आदेश का संज्ञान लेते हुए श्री अब्दुल यामीन का भी पेंशन प्रकरण स्वीकृत कराते हुए समस्त देयकों का भुगतान एक माह के अन्दर कराते हुए समस्या का समाधान कराना सुनिश्चित करें। इस हेतु प्रार्थी द्वारा मा0 आयोग का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया गया।

➤ **श्री अनीस अहमद, पुत्र श्री सगीर अहमद, निवासी–वार्ड नं0–5 अमरूखुर्द, इस्लामनगर, डाकघर, खटीमा, जिला ऊधमसिंहनगर के शिकायती प्रकरण का विवरणः–** प्रार्थी द्वारा विद्युत विभाग के कर्मचारियों के विरूद्ध शिकायत दर्ज कराते हुए अवगत कराया गया कि प्रार्थी के आवास तथा आंगनबाड़ी केन्द्र के ऊपर से विद्युत तारे डाली गयी है, जिससे किसी भी समय कोई दुर्घटना घटित होने की लगातार पूरी सम्भावनायें बनी हुई है। प्रार्थी द्वारा इस सम्बन्ध में लगातार सम्बन्धित कर्मचारी/लाईनमैन से विद्युत तारों को हटाये जाने हेतु अनुरोध किया गया, किन्तु अभी तक कोई कार्यवाही न करते हुए लापरवाही बरती जा रही है, जिस हेतु प्रार्थी व प्रार्थी का परिवार भविष्य में होने वाली दुर्घटना के भय में जीवन व्यतीत कर रहा है, जिस हेतु प्रार्थी द्वारा जनहित में तत्काल प्रभाव से प्रार्थी के आवास के ऊपर से गुजरने वाले तारों को हटाये जाने हेतु मा0 आयोग से न्याय की गुहार लगायी गयी है। इस सम्बन्ध में मा0 आयोग द्वारा त्वरित कार्यवाही कर समस्या का समाधान कराये जाने हेतु विद्युत विभाग, रूद्रपुर को निर्देशित किया गया तथा दिनांक 08.01.2026, को सुनवाई कर तत्काल अल्पसंख्यक समुदाय के हितों के रक्षार्थ आवास एवं आंगनबाड़ी केन्द्र के ऊपर से गुजर रही तारों को हटाये जाने के निर्देश दिये, जिस पर विद्युत विभाग द्वारा सहमति व्यक्त कर समस्या का समाधान कराया गया। इस हेतु शिकायतकर्ता द्वारा मा0 आयोग को आभार व्यक्त किया गया।

➢ **<u>श्री इमरान, पुत्र श्री अब्बास, निवासी–चिलकाना रोड़, पारक वाली मस्जिद, न्यू सम्राट कालोनी, सहारनपुर, उत्तर–प्रदेश की जनपद देहरादून से संबंधित शिकायत का विवरणः–</u>**प्रार्थी द्वारा श्री शारिक मलिक, मा0 सदस्य, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून के माध्यम से प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि प्रार्थी द्वारा अपना, पत्नी व पुत्री का दिनांक 25.10.2024, को पासपोर्ट बनाये जाने हेतु पासपोर्ट कार्यालय, गढ़ीकेन्ट रोड़ हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया था, जिसमें से प्रार्थी की पत्नी व पुत्री का पुलिस वेरीफिकेशन होते हुए पासपोर्ट की कार्यवाही पूर्ण कर पासपोर्ट बन गया है, किन्तु प्रार्थी वर्तमान में गोवा में कार्य करने के दृष्टिगत पुलिस के माध्यम से भौतिक सत्यापन आख्या देहरादून को उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त भी प्रार्थी को साक्षात्कार की तिथि आज तक उपलब्ध नहीं करायी गयी है, जबकि क्षत्रीय पासपोर्ट कार्यालय से प्रार्थी को नोटिस प्रेषित किया गया है। प्रार्थी द्वारा बार–बार पासपोर्ट कार्यालय गढ़केन्ट में सम्पर्क करने पर न तो साक्षात्कार की तिथि दी जा रही है तथा न ही कारण बताया जा रहा है, जिससे प्रार्थी को मानसिक व आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिस हेतु प्रार्थी द्वारा समस्या का समाधान कराये जाने हेतु मा0 आयोग से न्याय की गुहार लगायी गयी। जिस पर मा0 आयोग द्वारा अल्पसंख्यकों के हितों के रक्षार्थ त्वरित कार्यवाही कर क्षेत्रीय अधिकारी, देहरादून को कार्यवाही कर पासपोर्ट जारी किये जाने के निर्देश दिये गये, जिसके अनुपालन में प्रार्थी का पासपोर्ट रजिस्टर्ड डाक से प्रार्थी के पते पर प्रेषित किया गया, जिस हेतु प्रार्थी द्वारा मा0 आयोग का दिल से शुक्रिया अदा करते हुए पत्र प्रेषित किया गया।

➢ **श्री वचन सिंह, पुत्र श्री नवल सिंह, अल्पसंख्यक ग्राम किलावली थाना–कुण्डा, <u>जसपुर, जिला–ऊधमसिंहनगर की शिकायत का विवरणः–</u>** प्रार्थी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रार्थी व प्रार्थी का पुत्र श्री अनूप सिंह गुरूद्वारे की सेवा का कार्य करते है, दिनांक 16.06.2025 को समय करीब 1:15 बजे विपक्षीगणों द्वारा गाली–गलौच, मारपीट करने तथा अल्पसंख्यक धार्मिक उत्पीडन किया गया, जिसमें प्रार्थी के पुत्र श्री अनूप सिंह को अत्यधिक चोटें आई है, जिसका मेडिकल एल0डी0 भटट राजकीय चिकित्सालय, काशीपुर में कराया गया है। उक्त घटना की सूचना थाना हाजा कुण्डा में दिये जाने के उपरान्त भी प्रार्थी की एफआईआर दर्ज नहीं की गयी, जिस हेतु मा0 आयोग से न्याय की गुहार लगायी गयी, जिस पर मा0 आयोग द्वारा अल्पसंख्यकों के हितों के रक्षार्थ तत्काल संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, ऊधमसिंहनगर को निर्देशित किया गया, जिसके अनुपालन में प्रकरण में विपक्षीगणों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज की गयी, जिस पर शिकायतकर्ता द्वारा मा0 आयोग का आभार व्यक्त कर आजीवन आभारी रहूंगा, के कथन के साथ धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

➢ **<u>श्री अब्दुल जब्बार, पुत्र श्री गुलाम, निवासी–खटीमा, ऊधमसिंहनगर, हाल निवासी–चाँद कालोनी, मक्खनपुर, भगवानपुर, जिला–हरिद्वार के शिकायती प्रकरण का विवरणः–</u>** प्रार्थी द्वारा मा0 आयोग को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि प्रार्थी की पुत्री सहरबानों, पौनेक्स कम्पनी रायपुर, भगवानपुर में वर्कर के रूप में कार्य करती थी। दिनांक 15.08.2025 की सांय लगभग 4.00 बजे कम्पनी से ड्यूटी करके प्रार्थी की पुत्री अपने घर आ रही थी, उसी बीच प्रार्थी की पुत्री गायब हो गयी। प्रार्थी ने पुत्री की काफी खोजबीन की व अपने सभी रिश्तेदारों में पता किया, लेकिन नहीं मिल पाई। प्रार्थी को प्राप्त जानकारी

के अनुसार ज्ञात हुआ कि उक्त कम्पनी में रमाकान्त, निवासी–खेड़ा, जिला फरूखाबाद, उत्तर–प्रदेश भी कार्य करता है, जो प्रार्थी की पुत्री को बहला फुसलाकर अपने साथ लेकर चला गया है। प्रार्थी की पुत्री के साथ रमाकान्त कोई भी अप्रिय घटना कर सकता है, जिसकी सूचना/तहरीर प्रार्थी द्वारा थानाध्यक्ष, भगवानपुर को दी, किन्तु थानाध्यक्ष, भगवानुपर द्वारा आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। इस पर मा0 आयोग द्वारा त्वरित कार्यवाही कार्य अल्पसंख्यक समुदाय के हितों के रक्षार्थ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार को तत्काल संज्ञान लेते हुए कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये, जिसके अनुपालन में पुलिस द्वारा संबंधित के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर मा0 आयोग को अवगत कराया। मा0 आयोग द्वारा की गयी त्वरित कार्यवाही से शिकायतकर्ता द्वारा मा0 आयोग का आभार व्यक्त किया गया।

- **श्री रिज़वान, पुत्र श्री रईस अहमद, निवासी–सेथल, जिला बरेली, उत्तर–प्रदेश, हाल निवासी–चांद कालोनी, थाना –भगवानपुर, जिला–हरिद्वार के शिकायती प्रकरण का विवरणः–** प्रार्थी द्वारा मा0 आयोग में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि प्रार्थी की बहन शिफा, जन्मतिथि 10.08.2010 उम्र 15 वर्ष की नाबालिग दिनांक 19.08.2025 को विपक्षी शेखर कुमार पुत्र श्री ऋषिपाल, निवासी–लोधीपुर, जिला सहारनपुर बहला–फुसलाकर अपहरण कर अपने साथ ले गया, जिसकी सूचना/तहरीर प्रार्थना–पत्र के माध्यम से थानाध्यक्ष, भगवानपुर को दी, किन्तु थानाध्यक्ष, भगवानुपर द्वारा न तो प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज की गयी और न ही विपक्षी के विरूद्ध कोई कार्यवाही करने के लिए तैयार है, जिससे प्रार्थी अत्यन्त श्रुब्ध व मानसिक, आर्थिक उत्पीड़न से गुजर रहा है, जिस हेतु संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है। इस पर मा0 आयोग द्वारा त्वरित कार्यवाही कार्य अल्पसंख्यक समुदाय के हितों के रक्षार्थ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार को तत्काल संज्ञान लेते हुए कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये, जिसके अनुपालन में पुलिस द्वारा संबंधित के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर मा0 आयोग को अवगत कराया। जिस पर मा0 आयोग द्वारा पंजीकृत वाद को गुण–दोष के आधार पर विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण किये जाने के निर्देश पुलिस को दिये गये। मा0 आयोग द्वारा की गयी त्वरित कार्यवाही से शिकायतकर्ता द्वारा मा0 आयोग का आभार व्यक्त किया गया।

- **श्री सुखदीप सिंह, पुत्र श्री मनजीत सिंह, निवासी–ग्राम जंगल जोगीठेर, ऊधमसिंहनगर की शिकायत का विवरणः–** प्रार्थी द्वारा मा0 आयोग को श्री जगजीत सिंह जग्गा, मा0 सदस्य, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून के माध्यम से प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि प्रार्थी के साथ विपक्षीगण द्वारा शिक्षा के स्तर पर विदेश भेजने क नाम पर लाखों की ठगी की गयी है, जिसे प्रार्थी द्वारा विपक्षी के बैंक खाते में डाले गये तथा प्रार्थी को दिनांक 15.01.2025, को शिक्षा हेतु इंग्लैंड जाने की तिथि दी गयी, किन्तु जब उक्त तिथि को विपक्षी गायब हो गया, उसके उपरान्त प्रार्थी द्वारा अपनी रकम वापस मांगी गयी, तो विपक्षी द्वारा प्रार्थी को रकम देने से इंकार कर दिया तथा गाली–गलौच व जान से मारने की धमकी भी दी गयी। प्रार्थी के साथ लाखो की ठकी की गयी है तथा झूठे तथ्यों के आधार पर जाल में फंसाकर गुमराह किया गया है, जिस हेतु प्रार्थी द्वारा विपक्षी के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराये जाने के साथ–साथ रकम वापस दिलाये जाने हेतु मा0 आयोग से न्याय की गुहार लगायी गयी है, जिस पर मा0 आयोग द्वारा तत्काल कार्यवाही के निर्देश

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, ऊधमसिंहनगर को दिये गये, जिसके अनुपालन में पुलिस द्वारा संबंधित के विरूद्ध मुकदमा अपराध पंजीकृत कर मा0 आयोग को अवगत कराया गया, जिस हेतु शिकायतकर्ता द्वारा मा0 आयोग द्वारा की गयी त्वरित कार्यवाही कर विपक्षीगण के विरूद्ध दर्ज एफ.आई.आर. के संबंध में आभार व्यक्त किया गया।

- **सरदार गुरतेज सिंह, निवासी–द्वारा श्री बलबीर सिंह, निकट गुरूद्वारा रोड़, पुरनिया, बिहार–854301 की जनपद पौड़ी गढ़वाल की शिकायत का विवरणः–**प्रार्थी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रार्थी ने हे.न.बहुगुणा राजकीय मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर से माह अक्टूबर, 2025, को एम.डी.पैथोलॉजी थियोरी की परीक्षा पूर्ण तैयारी के साथ दी थी, किन्तु प्रार्थी को थियोरी में कम अंक प्राप्त हुए, जबकि प्रार्थी की थियोरी की परीक्षा बहुत अच्छी हुई, उसके उपरान्त भी प्रार्थी को अंक प्राप्त नहीं हुए है, जिस हेतु प्रार्थी द्वारा उक्त परीक्षा का पुर्नमूल्याकंन कराये जाने हेतु मा0 आयोग से अनुरोध किया गया है। इस सम्बन्ध में मा0 आयोग द्वारा छात्र के भविष्य के दृष्टिगत प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल को पत्र प्रेषित कर त्वरित कार्यवाही कर पुर्नमूल्याकंन कराये जाने के निर्देश जारी किये गये, जिसके अनुपालन में प्रार्थी की परीक्षा का पुर्नमूल्याकंन कर संबंधित कापी मा0 आयोग को उपलब्ध करायी गयी, जिसकी प्रति शिकायतकर्ता को उपलब्ध करायी गयी, जिस हेतु शिकायतकर्ता द्वारा मा0 आयोग को आभार व्यक्त किया गया।

- **श्री शादाब, पुत्र श्री मोहम्मद इशाक, निवासी–ग्राम छिनकी, पोस्ट दरऊ, जिला–ऊधमसिंहनगर की शिकायत का विवरणः–** प्रार्थी द्वारा मा0 आयोग को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर सेवायोजन अधिकारी, ऊधमसिंहनगर के विरूद्ध शिकायत दर्ज कराते हुए अवगत कराया गया कि प्रार्थी मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित है तथा उक्त अधिकारी द्वारा प्रार्थी के मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित होने के कारण प्रार्थी की शैक्षणिक योग्यता में वृद्धि दर्ज कराये जाने हेतु समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर किये गये आवेदन को बिना किसी कारण के जानबूझकर बार–बार निरस्त किया गया है तथा प्रार्थी द्वारा आवेदन के निरस्तीकरण के संबंध में पूछे जाने पर उक्त अधिकारी द्वारा प्रार्थी के साथ धार्मिक टीका–टिप्पणी कर अभ्रद्र व अपमानजनक व्यवहार कर कार्यालय से भगा दिया गया, जिससे प्रार्थी का मानसिक उत्पीडन कर अल्पसंख्यक समुदाय के साथ विभेद उत्पन्न किया गया है, जिस हेतु प्रार्थी द्वारा प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराते हुए सुनवाई कर न्याय दिलाये जाने की गुहार लगाई गयी है। इस हेतु मा0 आयोग द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के हितों के रक्षार्थ तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही कर मा0 आयोग को अवगत कराये जाने के निर्देश जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर को दिये गये, जिसका अनुपालन करते हुए प्रार्थी के सेवायोजन नामाकंन में शैक्षणिक वृद्धि दर्ज कर प्रमाण–पत्र जारी किया गया, जिस हेतु प्रार्थी द्वारा मा0 आयोग को आभार व्यक्त किया गया।

- **श्री शुभम जैन, पुत्र श्री विनोद कुमार, निवासी वार्ड नं0–06, नगरपालिका बडकोट, उत्तरकाशी के शिकायती प्रकरण का विवरणः–** प्रार्थी द्वारा मा0 आयोग को प्रार्थना–पत्र प्रेषित कर अवगत कराया गया कि प्रार्थी द्वारा अल्पसंख्यक प्रमाण–पत्र बनाये जाने हेतु तहसील कार्यालय में आवेदन किया था, परन्तु आतिथि तक प्रमाण–पत्र निर्गत नहीं किया गया है, बल्कि अनावश्यक परेशान किया जा रहा है, जबकि प्रार्थी द्वारा आवश्यक दस्तावेज

आवेदन के साथ संलग्न किये गये है, जिस हेतु प्रार्थी द्वारा शीघ्र अल्पसंख्यक प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराये जाने हेतु मा0 आयोग से न्याय की गुहार लगायी गयी है, जिसके क्रम में मा0 आयोग द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए अल्पसंख्यकों के हितों के रक्षार्थ प्रकरण में जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को पत्र प्रेषित कर अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुए समस्या का समाधान कराये जाने के निर्देश दिये गये, जिसके अनुपालन में जिलाधिकारी, उत्तरकाशी द्वारा प्रार्थी को अल्पसंख्यक प्रमाण–पत्र जारी कर दिया गया है, से अवगत कराते हुए आख्या मा0 आयोग को प्रस्तुत की गयी।

➢ **श्री इम्तियाज़ अली, पुत्र स्व0 श्री बशीर अहमद, निवासी–ग्राम मेहूंवाला माफी, शिमला बाईपास रोड़, देहरादून के शिकायती प्रकरण का विवरणः–** प्रार्थी द्वारा मा0 आयोग को प्रार्थना–पत्र प्रेषित कर अवगत कराया गया कि प्रार्थी द्वारा जनहित प्रोडियूजर कम्पनी लि0 जिसके देहरादून में ब्रांच मेनेजर श्री उमेश कुमार, निवासी मुरादाबाद है, में एक आर.डी. खोली थी, जिसमें प्रार्थी द्वारा पैसा जमा कराया गया था, किन्तु वर्तमान में उक्त ब्रांच बंद हो गयी है तथा ब्रांच मेनेजर भी देहरादून से जा चुके है, जिनसे मोबाईल पर वार्ता कर प्रार्थी को अपशब्द बोलकर कहा जा रहा है कि अब कोई भी धनराशि वापस नहीं करेंगे, जिससे प्रार्थी मानसिक रूप से अत्यन्त परेशान है तथा जमा धनराशि को वापस दिलाये जाने हेतु मा0 आयेग से न्याय की गुहार लगायी गयी है। इस सम्बन्ध में मा0 आयोग द्वारा प्रकरण का संज्ञान लेते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने के निर्देश वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून को दिये गये, जिसके अनुपालन में पुलिस द्वारा संबंधित के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिस हेतु प्रार्थी द्वारा की गयी समस्त कार्यवाही से सन्तुष्ट होते हुए मा0 आयोग का आभार व्यक्त किया गया।

➢ **श्रीमती गुलशाना खान, पत्नी श्री रईस अहमद, निवासी श्रीरामपुरम कालोनी, लेन नं0–5, गोविन्दगढ़, देहरादून के शिकायती प्रकरण का विवरणः–** प्रार्थिनी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रार्थिनी श्रीरामपुरम कालोनी की सद्भावी निवासी है। प्रार्थिनी द्वारा पंजीकृत विक्रयपत्र भूमि की पूर्व मालिक स्वामी व काबिज श्रीमती कमलेश, पत्नी श्री तेजपाल से खसरा सं0–1513, रकबा 60.45 वर्गमीटर स्थित मौजा कांवली, परगना केन्द्रीयकृत देहरादून जिसकी पैमाईश दक्षिण व उत्तर दिशा में 16.25 फीट, एवं पूरब व पश्चिम दिशा में 40 फीट है क्रय की हुई है। उक्त भूमि पर वर्ष 2010 में प्रार्थिनी द्वारा भवन जिसमें 2 कमरे, 1 किचन, 1 बाथरूम, लैट्रिन निर्मित है, का निर्माण करवाया गया। इस भूमि का क्षेत्रफल चूंकि 60.45 वर्ग मीटर है, तत्समय के नियमानुसार मानचित्र स्वीकृति की भी आवश्यकता नहीं है, जैसा कि प्राधिकरण के नियम से स्पष्ट है, तत्समय निर्मित उक्त भवन में बिजली संयोजन भी करवाया गया था। किन्तु वर्तमान में एम.डीडीए द्वारा प्रार्थिनी के पति श्री रईस अहमद को नोटिस देकर प्रताड़ित किया जा रहा है, क्योंकि प्रार्थिनी व प्रार्थिनी के पति द्वारा एमडीडीए के अधिकारी/कर्मचारी को यह बता दिया कि हम अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित है, हमें परेशान नहीं किया जाय, परन्तु अभी तक प्रताड़ना का सिलसिला चल रहा है, जिस हेतु अल्पसंख्यक समुदाय की महिला की शिकायत दर्ज कर कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है। इस पर मा0 आयोग द्वारा देहरादून मंसूरी प्राधिकरण को अग्रेत्तर कार्यवाही कर समस्या का समाधान किये जाने के निर्देश दिये गये। तत्क्रम में प्रार्थिनी द्वारा प्रार्थना–पत्र

प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि एम.डी.डी.ए द्वारा प्रार्थिनी की समस्या का समाधान कर दिया गया है, जिस हेतु प्रार्थिनी द्वारा मा0 आयोग का धन्यवाद ज्ञापित कर प्रकरण को समाप्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

- श्री दिलशाद पुत्र स्व0 श्री बुद्धू, निवासी–भगवानपुर चन्दनपुर, रूड़की हरिद्वार हाल निवसी–137 सी–15 टर्नर रोड़, आज़ाद कालोनी, माजरा, देहरादून के शिकायती प्रकरण का विवरणः–प्रार्थी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रार्थी की भगवानपुर चन्दनपुर में खसरा खतौनी की भूमि है, जिस पर विपक्षीगणों द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर प्रार्थी को परेशान किया जा रहा है, जिस हेतु प्रार्थी द्वारा भूमि का सीमाकंन कराते हुए प्रार्थी की खसरा खतौनी की भूमि को पूरा कराये जाने का अनुरोध किया गया, जिसके क्रम में मा0 आयोग द्वारा जिलाधिकारी, हरिद्वार को प्रार्थी की समस्या का समाधान कराये जाने के निर्देश दिये गये। जिस हेतु प्रार्थी द्वारा मा0 आयोग में पत्र प्रेषित कर अवगत कराया गया कि मामले का निपटारा सन्तोषजनक हो गया है उक्त प्रकरण की कार्यवाही से प्रार्थी बहुत खुश है, इसलिये मा0 आयोग का तहेदिल से शुक्रिया अदा करता है।